



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269383
CG-DL-E-16012026-269383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 211]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

का.आ. 233(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH351 के कि.मी. 154 से कि.मी.180.1 महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा वाडिया - जेतपुर तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH351 के कि.मी. 154 से कि.मी.180.1 महुवा - सावरकुंडला - अमरेली - बगसरा वाडिया - जेतपुर के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: राजकोट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जेतपुर					
गांव का नाम: थाणा गालोल					
1	39 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.0974 (हेक्टेयर)	0.0974
2	40	निजी	कृषि	0.1035 (हेक्टेयर)	0.1035
3	47 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.1697 (हेक्टेयर)	0.1697
गांव का नाम: चारणीया					
4	155/6 PAIKI 3	निजी	कृषि	0.0792 (हेक्टेयर)	0.0792
5	161/5 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.0562 (हेक्टेयर)	0.0562
6	161/6.	निजी	कृषि	0.0427 (हेक्टेयर)	0.0427
7	168 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0988 (हेक्टेयर)	0.0988
8	171/2	निजी	कृषि	0.0541 (हेक्टेयर)	0.0541
9	171/6 min	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
10	238	निजी	कृषि	0.1747 (हेक्टेयर)	0.1747
11	41 min	निजी	कृषि	0.0635 (हेक्टेयर)	0.0635
12	42 min	निजी	कृषि	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
गांव का नाम: चारळ समझीयाडा					
13	101	निजी	कृषि	0.0423 (हेक्टेयर)	0.0423
14	102/1	निजी	कृषि	0.0334 (हेक्टेयर)	0.0334

15	102/2	निजी	कृषि	0.0289 (हेक्टेयर)	0.0289
16	104 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
17	118 / 1 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.1343 (हेक्टेयर)	0.1343
18	118 / 1 PAIKI 3 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.0888 (हेक्टेयर)	0.0888
19	118 / 2 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.157 (हेक्टेयर)	0.157
20	118 / 2 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.2673 (हेक्टेयर)	0.2673
21	118/1 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.2119 (हेक्टेयर)	0.2119
22	118/1 PAIKI 3/ PAIKI 2	निजी	कृषि	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
23	118/1 PAIKI 3/PAIKI 1/ PAIKI 1	निजी	कृषि	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
24	179 min	निजी	गैरकृषि	0.0449 (हेक्टेयर)	0.0449
25	18/1	निजी	कृषि	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
26	19/1	निजी	कृषि	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
27	194 /1 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
28	197 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.0994 (हेक्टेयर)	0.0994
29	197 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0195 (हेक्टेयर)	0.0195
30	198 PAIKI 1 / PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0582 (हेक्टेयर)	0.0582
31	198 PAIKI 2	निजी	कृषि	0.0413 (हेक्टेयर)	0.0413
32	198 PAIKI 3	निजी	कृषि	0.0505 (हेक्टेयर)	0.0505
33	201 PAIKI 1	निजी	कृषि	0.0973 (हेक्टेयर)	0.0973
34	202	निजी	कृषि	0.1152 (हेक्टेयर)	0.1152
35	203	निजी	कृषि	0.2523 (हेक्टेयर)	0.2523
36	35 PAIKI 6	निजी	कृषि	0.2 (हेक्टेयर)	0.2
Total					3.1384

[फा. सं. GJ/P/V/13/2019/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

S.O. 233(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **NH351** in the stretch of land from **Km. 154 to Km. 180.1 (MAHUVA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIYA - JETPUR)** in the district of **RAJKOT** in the state of **GUJARAT**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH351 in the stretch of land from Km.

154 to Km. 180.1 (MAHUVA - SAVARKUNDALA - AMRELI - BAGASARA - VADIYA - JETPUR) in the district of RAJKOT in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: RAJKOT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jetpur					
Village: Thana Galol					
1	39 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.0974 (Hectare)	0.0974
2	40	Private	Agriculture	0.1035 (Hectare)	0.1035
3	47 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.1697 (Hectare)	0.1697
Village: Charaniya					
4	155/6 PAIKI 3	Private	Agriculture	0.0792 (Hectare)	0.0792
5	161/5 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.0562 (Hectare)	0.0562
6	161/6.	Private	Agriculture	0.0427 (Hectare)	0.0427
7	168 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0988 (Hectare)	0.0988
8	171/2	Private	Agriculture	0.0541 (Hectare)	0.0541
9	171/6 min	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
10	238	Private	Agriculture	0.1747 (Hectare)	0.1747
11	41 min	Private	Agriculture	0.0635 (Hectare)	0.0635
12	42 min	Private	Agriculture	0.0175 (Hectare)	0.0175
Village: Charan Samadhiyala					

13	101	Private	Agriculture	0.0423 (Hectare)	0.0423
14	102/1	Private	Agriculture	0.0334 (Hectare)	0.0334
15	102/2	Private	Agriculture	0.0289 (Hectare)	0.0289
16	104 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
17	118 / 1 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.1343 (Hectare)	0.1343
18	118 / 1 PAIKI 3 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.0888 (Hectare)	0.0888
19	118 / 2 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.157 (Hectare)	0.157
20	118 / 2 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.2673 (Hectare)	0.2673
21	118/1 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.2119 (Hectare)	0.2119
22	118/1 PAIKI 3/ PAIKI 2	Private	Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
23	118/1 PAIKI 3/PAIKI 1/ PAIKI 1	Private	Agriculture	0.041 (Hectare)	0.041
24	179 min	Private	Agriculture	0.0449 (Hectare)	0.0449
25	18/1	Private	Agriculture	0.0105 (Hectare)	0.0105
26	19/1	Private	Agriculture	0.0125 (Hectare)	0.0125
27	194 / 1 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0016 (Hectare)	0.0016
28	197 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.0994 (Hectare)	0.0994
29	197 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0195 (Hectare)	0.0195
30	198 PAIKI 1 / PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0582 (Hectare)	0.0582
31	198 PAIKI 2	Private	Agriculture	0.0413 (Hectare)	0.0413
32	198 PAIKI 3	Private	Agriculture	0.0505 (Hectare)	0.0505
33	201 PAIKI 1	Private	Agriculture	0.0973 (Hectare)	0.0973
34	202	Private	Agriculture	0.1152 (Hectare)	0.1152
35	203	Private	Agriculture	0.2523 (Hectare)	0.2523
36	35 PAIKI 6	Private	Agriculture	0.2 (Hectare)	0.2
Total					3.1384

[F. No. GJ/P/V/13/2019/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director